(204)

CF 315/-

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर

१- फर्सी तनय रमू ढीमर पेशा काश्तकारी

२- मु० अन्तू बेवा रमू ढीमर पेशा काश्तकारी

३- मु० नुनिया पुत्री रमू ढीमर पेशा काश्तकारी

४- बेनीबाई पुत्री रमू ढीमर पेशा काश्तकारी

समस्त निवासीगण ग्राम दुमदुमा तहसील पृथ्वीपुर

जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) -- -- अपीलार्थीगण

-: बनाम :-

१- रमेशप्रसाद तनय भगवानदास नायक

२- रतीराम तनय भगवानदास नायक

३- रामरतन तनय द्वारकाप्रसाद नायक

४- हरनारायण पिता द्वारकाप्रसाद नायक

५- गिरजाप्रसाद तनय द्वारकाप्रसाद नायक

६- घनश्यामदास तनय द्वारकाप्रसाद नायक

समस्त निवासीगण ग्राम दुमदुमा तहसील पृथ्वीपुर

जिला टीकमगढ़ -- -- प्रत्यार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा ४४ उपधारा २(१) म०प्र०भू०रा०सं० १९५९

नि. 1624-अ/2001

श्री राघवेन्द्र मिश्रा अभि. द्वारा यह अपील आज दिनांक 24-8-2001 को कैम्प सागर पर प्रस्तुत की गयी।

24-8-2001.

यह अपील अपीलार्थीगण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाड़ी द्वारा राजस्व अपीलीय प्रकरण क्रमांक ७८।अपी०।वर्ष २०००-०१ में पारित आदेश दिनांक ८-८-०१ से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत है :-

अपीलके आधार

१- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी क्रमांक १-३ तथा ४ के पिता एवं क्रमांक २ के पति रमू ढीमर को भूमिहीन होने के कारण वाके मोजा मानिकपुरा प०ह०नं० ३३ राजस्व निरीक्षक मण्डल पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि ख०नं० ४६२/

(3)

महोदि.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-1624-एक/2001 जिला टीकमगढ़ फौसे विरूद्ध रमेशप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	